



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIE
NATIONAL INSTITUTE OF
EPIDEMIOLOGY



Committed to public health since 1999

आईसीएमआर-राष्ट्रीय जानपदिक-रोग विज्ञान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
ICMR-NATIONAL INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY
Department of Health Research,
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India,
Ayapakkam, Chennai- 600 077

Advt. No. ICMR-NIE/Admin.Recrut/2025

Date: 28.02.2025

आईसीएमआर-एन आई ई, चेन्नई में सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक की भर्ती

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक शोध संस्थान, आईसीएमआर-राष्ट्रीय जानपदिक-रोग विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईई) प्रशासनिक संवर्ग के तहत विभिन्न पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। केवल वे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो यहां दिए गए लिंक का उपयोग करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरे जाएंगे और क्रम में पाए जाएंगे। उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस अधिसूचना में बताई गई पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी। आवेदकों की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में पूरी तरह से अंतिम होगी। विवरण इस प्रकार है:

सभी पदों के लिए परीक्षा/टेस्ट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:

ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइटलिंक खुलने की तिथि	जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा
ऑनलाइन पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	
आईसीएमआर-एनआईई वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की तिथि	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद इसकी घोषणा की जाएगी
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सी.बी.टी.) और कंप्यूटर प्रवीणता/कौशल परीक्षण की तिथि	प्रवेश पत्र में सूचित किया जाएगा

* सी.बी.टी. के लिए प्रवेश पत्र आईसीएमआर-एनआईई वेबसाइट पर सी.बी.टी. के दिन तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे।

आवश्यक योग्यता के साथ रिक्त पदों का विवरण:

पद का नाम	सहायक
पोस्ट कोड	एसएसटी01
पद का वर्गीकरण	ग्रुप-बी (मंत्रिस्तरीय)
भुगतान मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स स्तर: 7वें सीपीसी का वेतन स्तर 6 (रु.35400 - 112400)
आयु सीमा	अधिकतम 30 वर्ष (आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए)
रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी	1 पद (ओबीसी-1)*
शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक की डिग्री; तथा ii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान (एमएस ऑफिस/पावर प्वाइंट).

पद का नाम	उच्च श्रेणी लिपिक
पोस्ट कोड	यूडीसी02
पद का वर्गीकरण	ग्रुप-सी (मंत्रिस्तरीय)
भुगतान मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स स्तर: 7वें सीपीसी का वेतन स्तर 4 (रु.25500 - 81100)
आयु सीमा	अधिकतम 27 वर्ष (आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए)
रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी	2 पद (अनारक्षित-1 एवं अनुसूचित जाति-1)*
शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष. ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव के औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप)

पद का नाम	अवर श्रेणी लिपिक		
पोस्ट कोड	एलडीसी03		
पद का वर्गीकरण	ग्रुप-सी (मंत्रिस्तरीय)		
भुगतान मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स स्तर: 7वें सीपीसी का वेतन स्तर 2 (रु.19900 - 63200)		
आयु सीमा	अधिकतम 27 वर्ष (आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए)		
रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी	7 पद (अनारक्षित-5, ओबीसी-1, एससी-1)* <table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr> <td>क्षेत्रीय आरक्षण</td> </tr> <tr> <td>[पीडब्ल्यूबीडी - 1 और पूर्व-एसएम -1]</td> </tr> </table>	क्षेत्रीय आरक्षण	[पीडब्ल्यूबीडी - 1 और पूर्व-एसएम -1]
क्षेत्रीय आरक्षण			
[पीडब्ल्यूबीडी - 1 और पूर्व-एसएम -1]			
शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता. ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव के औसत पर 10500 KDPH/9000 KDPH के अनुरूप)		

* निदेशक, आईसीएमआर-एनआईई भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी श्रेणी में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

संक्षिप्त रूप: एससी-अनुसूचित जाति, ओबीसी-अन्य पिछड़ा वर्ग, यूआर-अनारक्षित, पीडब्ल्यूबीडी-बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, पूर्व-एसएम-पूर्व सैनिक.

आवेदन कैसे करें

- उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए, लिंक आई.सी.एम.आर. / एनआईई वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.nie.gov.in और www.icmr.gov.in)
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
- नीचे उल्लेखित आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय अर्थात वापस नहीं किया जाएगा) उपयुक्त पदों के आवेदन के लिए लागू होगा। विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और संबंधित शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा।

पद का नाम	यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी	एससी/एसटी/दिव्यांग/ईएसएम/महिलाएं
सहायक	रु.2,000/-	रु.1,600/-
उच्च श्रेणी लिपिक	रु.2,000/-	रु.1,600/-
अवर श्रेणी लिपिक	रु.2,000/-	रु.1,600/-

- आईसीएमआर कर्मचारियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से **छूट नहीं** दी जाएगी।
- आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रक्रिया के केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।
- उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों (मूल) की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी:-
 - जन्म तिथि का प्रमाण
 - कक्षा-10 से आगे की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण
 - कार्य अनुभव का प्रमाण जिसमें प्रत्येक पद के लिए प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो
 - श्रेणी का प्रमाण अर्थात् एससी **(अनुलग्नक-I)**
 - श्रेणी का प्रमाण अर्थात् ओबीसी एनसीएल **(अनुलग्नक-II)**
 - ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र **(अनुलग्नक-III)**
 - आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक-IV)**
 - आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक-V)**
 - सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक-VI)**
 - केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारूप में आयु में छूट के लिए अनुभव का प्रमाण **(अनुलग्नक-VII)**
- उम्मीदवारों के साथ सभी पत्राचार केवल उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ही किए जाएंगे। परीक्षा कार्यक्रम/प्रवेश पत्र आदि से संबंधित सभी जानकारी ईमेल के माध्यम से और/या संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करके प्रदान की जाएगी।
- प्रवेश पत्र/किसी अन्य जानकारी को प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।
- आईसीएमआर-एनआईई, उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई अमान्य/गलत ईमेल आईडी के कारण भेजे गए ईमेल के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि उम्मीदवार समय पर अपने मेल/वेबसाइट तक पहुंचने में विफल रहता है तो सूचना के विलंब/अप्राप्ति के लिए भी आईसीएमआर-एनआईई उत्तरदायी नहीं होगा।
- उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में केवल तभी शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास मान्य फोटो प्रवेश पत्र होगा।
- यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी दी जाती है या किसी भी जानकारी को छिपाया जाता है, जो भर्ती प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद कभी भी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति की उम्मीदवारी/सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

सहायक (ASST 01) के पद के लिए चयन प्रक्रिया

सहायक पद के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा दो स्तरों में आयोजित की जाएगी –

स्तर-1: एम.सी.क्यू. का कंप्यूटर आधारित परीक्षण स्तर-2: कंप्यूटर दक्षता परीक्षण

- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) बहु विकल्पीय प्रश्न (एम.सी.क्यू.) प्रकार की होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	पद का नाम	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	टिप्पणी	
1.	सहायक	अनुभाग - क	अंग्रेजी भाषा	20	20	कुल समय 90 मिनट होगा। कोई अनुभागवार क्वालीफाइंग अंक नहीं होगा।
		अनुभाग - ख	सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स	20	20	
		अनुभाग - ग	सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति (जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग)	20	20	
		अनुभाग - घ	कंप्यूटर योग्यता	20	20	
		अनुभाग - ड	मात्रात्मक योग्यता (क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड)	20	20	
कुल			100	100*		

*सी.बी.टी. में निगेटिव मार्किंग होगी; प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। विषय से संबंधित प्रश्न आवश्यक योग्यता के अनुरूप स्तर के होंगे।

- सहायक पद के लिए सी.बी.टी. में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक (पास अंक) नीचे दिए गए हैं:

वर्ग	न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक
यूआर/ओबीसी	50%
एससी/पीडब्ल्यूबीडी	40%

- सी.बी.टी. में उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 20 अंकों की कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो कि **क्वालीफाइंग प्रकृति** की होगी। परीक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक सभी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल अंकों का 50% (यानी 10 अंक) होगा।

टेस्ट का नाम	टेस्ट का नाम	अंक	अवधि
कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षण	वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल शीट, स्लाइड बनाना आदि टेस्ट में शामिल होंगे: 1. पैसेज टाइप करना और/या अन्य वर्ड प्रोसेसिंग अभ्यास। 2. एक्सेल शीट तैयार करना। 3. पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और संबंधित अभ्यास तैयार करना जो किसी कार्यालय के सामान्य दिन-प्रतिदिन के कामकाज में आवश्यक हैं।	20 अंक	कुल समय 60 मिनट

- 'योग्यता के बाद अनुभव' के लिए **वेटेज (अधिकतम 5 अंक)** - इसके अलावा, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या पंजीकृत संगठन में 'योग्यता के बाद अनुभव' रखने वाले उम्मीदवारों को 5 अंक तक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए वेटेज अंक नीचे दिए अनुसार दिए जाएंगे:

योग्यता के बाद अनुभव वेटेज तालिका	
प्रासंगिक अनुभव	वेटेज (अंक)
>1 और अधिकतम 2 वर्ष	1
>2 और अधिकतम 4 वर्ष	2
>4 और अधिकतम 6 वर्ष	3
>6 और अधिकतम 8 वर्ष	4
>8 वर्ष	5

सहायक पद के संबंध में महत्वपूर्ण नोट:

- सी.बी.टी. और योग्यता-पश्चात अनुभव का कुल वेटेज 100% होगा तथा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हता (कालीफाइंग) प्रकृति की होगी।
- सी.बी.टी. में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को 1:10 अनुपात में कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा (संबंधित श्रेणी में प्रत्येक रिक्त पद के लिए 10 उम्मीदवार)।
- सी.बी.टी. में उम्मीदवारों के अंकों को अंतिम मेरिट सूची के लिए तभी स्वीकृत माना जाएगा जब उम्मीदवार कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।
- सी.बी.टी. स्कोर का वेटेज 95% होगा और योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल प्राप्त अंकों का वेटेज 100% होगा और यह अंतिम स्कोर होगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी 02) और अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी 03) के पद के लिए चयन प्रक्रिया

उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें दो स्तर होंगे (स्तर -1: एम.सी.क्यू. का कंप्यूटर आधारित परीक्षण | स्तर-2: कंप्यूटर दक्षता परीक्षण)।

- कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सी.बी.टी.) एमसीक्यू प्रकार का होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रमांक	पद का नाम	विषय		प्रश्नों की संख्या	अंक	टिप्पणी
1.	उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक	अनुभाग-क	अंग्रेजी भाषा	20	20	कुल समय 90 मिनट होगा।
		अनुभाग-ख	सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स	20	20	
		अनुभाग - ग	सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति (जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग)	20	20	कोई सेक्शनवार कालीफाइंग अंक नहीं होगा।
		अनुभाग - घ	कंप्यूटर योग्यता	20	20	
		अनुभाग - ड	मात्रात्मक योग्यता (क्रॉटिटेटिव एप्रीट्यूड)	20	20	
Total				100	100*	

* सी.बी.टी. में निगेटिव मार्किंग होगी; प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। विषय से संबंधित प्रश्न आवश्यक योग्यता के अनुरूप स्तर के होंगे।

- उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए सी.बी.टी. में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक (पास अंक) निम्नानुसार हैं:

वर्ग	न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक
यूआर/ओबीसी	50%
एससी/पीडब्ल्यूबीडी	40%

- उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी क्लर्क पद के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षण निम्नलिखित के अनुसार **कालीफाइंग** के रूप में होगा।

टेस्ट का नाम	टाइपिंग गति	कुंजी दबाव
कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट	अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट	(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव के औसत पर 10500 KDPH / 9000 KDPH के अनुरूप हैं)

- ‘योग्यता के बाद अनुभव’ के लिए वेटेज (अधिकतम 5 अंक)** - इसके अलावा, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या पंजीकृत संगठन में ‘योग्यता के बाद अनुभव’ रखने वाले उम्मीदवारों को 5 अंक तक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए वेटेज अंक नीचे दिए अनुसार दिए जाएंगे:

योग्यता के बाद अनुभव वेटेज तालिका	
प्रासंगिक अनुभव	वेटेज (अंक)
>1 से 2 वर्ष तक	1
>2 से 4 वर्ष तक	2
>4 से 6 वर्ष तक	3
>6 से 8 वर्ष तक	4
> 8 वर्ष	5

उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद के संबंध में महत्वपूर्ण नोट:

- सी.बी.टी. और योग्यता-पश्चात अनुभव का कुल वेटेज 100% होगा तथा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हता (कालीफाइंग) प्रकृति की होगी।
- सी.बी.टी. में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को 1:10 अनुपात में कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा (संबंधित श्रेणी में प्रत्येक रिक्त पद के लिए 10 उम्मीदवार)।
- सी.बी.टी. में उम्मीदवारों के अंकों को अंतिम मेरिट सूची के लिए तभी स्वीकृत माना जाएगा जब उम्मीदवार कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।
- सी.बी.टी. स्कोर का वेटेज 95% होगा और योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल प्राप्त अंकों का वेटेज 100% होगा और यह अंतिम स्कोर होगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

पाठ्यक्रम:

सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए सी.बी.टी. पाठ्यक्रम	
विषय	पाठ्यक्रम
अंग्रेजी भाषा	समझ, एक शब्द प्रतिस्थापन, समानार्थी और विलोम शब्द, वर्तनी त्रुटि, वाक्यों में त्रुटि खोजना, व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पूर्वसर्ग, संयोजन, "ए", "एएन" और "द" का प्रयोग, मुहावरे और वाक्यांश।
सामान्य ज्ञान सहित करेंट अफेयर्स	भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति और संविधान, विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान, पुरस्कार, खेल, आईसीएमआर सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएं, करेंट अफेयर्स मामले - भारत और विश्व।
सामान्य बुद्धि एवं तर्क (जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग)	समानता - प्रतीकात्मक/संख्या समानता, अर्थगत समानता, आकृति समानता, समानताएँ और अंतर, शब्द निर्माण, संबंध अवधारणाएँ, दृश्य धारणा, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणाएँ, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अर्थ श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। कोडिंग और डिकोडिंग-छोटे और बड़े अक्षर/संख्या कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण।
कंप्यूटर योग्यता	कंप्यूटर की विशेषताएँ, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस-ऑफिस (वर्ड, एक्सेल / स्प्रेडशीट, पावर प्वाइंट का पूर्वपोजर), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, डिजिटल हस्ताक्षर, ई-गवर्नेंस के लिए सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, मोबाइल / स्मार्टफोन की सूचना कियोस्क।
मात्रात्मक योग्यता (गणित)	संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, लघुतम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। समय और कार्य, समय और दूरी, क्षेत्रमिति (2D और 3D), बीजगणित, डेटा व्याख्या, तालिका और ग्राफ़ आदि।

नोट: सभी पदों के लिए पाठ्यक्रम समान हैं। हालाँकि, परीक्षा का कठिनाई स्तर आवश्यक योग्यता के अनुरूप होगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षण के लिए शहर/केंद्र

- परीक्षा केन्द्रों की सूची बाद में आईसीएमआर/एनआईई वेबसाइट के माध्यम से घोषित की जाएगी।

कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षण और कंप्यूटर कौशल परीक्षण के लिए शहर/केंद्र

- परीक्षा केन्द्रों की सूची बाद में आईसीएमआर/एनआईई वेबसाइट के माध्यम से घोषित की जाएगी।

नियम और शर्तें

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- पदों को नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाना है।
- सभी आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं और अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी।
- केवल शैक्षिक योग्यता रखने से किसी भी उम्मीदवार को पद के लिए पात्र माने जाने का अधिकार नहीं मिलेगा।

- सी.बी.टी. की तिथि, समय और स्थान शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल/www.nie.gov.in वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति के लिए समय-समय पर आईसीएमआर-एनआईई वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
- सी.बी.टी. /कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- सभी पदों पर अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व लागू होगा।
- वेतन और भत्ते आईसीएमआर नियमों के अनुसार होंगे।
- वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (ईसीबी और पीआर प्रभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22.12.2003 में निहित प्रावधान के अनुसार नए प्रवेशकों के लिए नई संरचित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली का लाभ स्वीकार्य होगा, जो 01.01.2004 से प्रभावी है।
- यदि भर्ती के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद भी यह संज्ञान में आता है कि कोई भी उम्मीदवार उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में कोई गलत या झूठी या भ्रामक जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है या वह अन्यथा पात्र नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए स्वतः ही रद्द हो जाएगी, भले ही उसने सी.बी.टी. में जो भी अंक प्राप्त किए हों और इस संबंध में कोई पूछताछ/अनुरोध/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- नियुक्ति मेडिकल फिटनेस और नागरिक प्राधिकारियों से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी।

आयु सीमा

- ऊपरी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- उम्र निर्धारित करने के लिए केवल मैट्रिकुलेशन/सेकंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी और इसके बाद किसी भी परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा या स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- अनारक्षित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग (एससी/ओबीसी) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आयु में छूट का दावा करने के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-

वर्ग कोड	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु में छूट	
01	एससी/एसटी	5 साल	
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 साल	
03	पीडब्ल्यूबीडी	10 साल	
04	पीडब्ल्यूबीडी+ओबीसी	13 साल	
05	पीडब्ल्यूबीडी+एससी/एसटी	15 साल	
06	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व एस.एम.)	अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष।	
07	भूतपूर्व सैनिक - एससी/एसटी	अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 8 वर्ष (3+5 वर्ष)	
08	भूतपूर्व सैनिक - ओबीसी	अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 6 वर्ष (3 + 3)	
06	केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारी	आयु में छूट ग्रुप ए और बी पदों के लिए	ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा
	1) केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/2/2010- Estt.(D) दिनांक 27 मार्च 2012 (सामान्य/अनारक्षित) के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्षों की नियमित और निरंतर सेवा की हो।	5 साल	40 साल
	2) केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारी (ओबीसी) जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	8(5+3) साल	43(40+3) साल
	3) केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारी (एससी/एसटी) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	10(5+5) साल	45(40+5) साल

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट उन लोगों को दी जाएगी जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40% है। उम्मीदवारों को आयु में छूट का दावा करने के लिए भारत सरकार के सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा; ऐसा न करने पर आयु में छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

- यदि कोई विकलांग व्यक्ति केंद्र सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु सीमा में छूट का हकदार है, तो उसे या तो 'विकलांग व्यक्ति' के रूप में या 'केंद्र सरकार के कर्मचारी' के रूप में छूट दी जाएगी, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो।
- भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के अधीन समूह 'सी' और 'डी' पदों पर सिविल में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, विभिन्न रिक्त पदों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन देता है, जिसके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 36034/1/2014-स्था. (आरक्षण) में उल्लिखित है।

Note:

- I. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल उन मामलों में स्वीकार्य है, जहां रिक्त पद ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित रिक्त पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा।
- II. आवेदक ऊपरी आयु सीमा में छूट पाने के लिए अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच कर सकते हैं। यदि पात्र हैं, तो उन्हें उनके लिए लागू उचित श्रेणी कोड भरना होगा।

प्रशिक्षणकाल:

सभी पदों के लिए प्रशिक्षणकाल अवधि नियुक्ति की तिथि से **दो वर्ष** होगी। परिवीक्षा से संबंधित अन्य नियम और शर्तें समय-समय पर जारी आईसीएमआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार होंगी।

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण:

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

क्रम सं.	पद का नाम	पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित पद	आरक्षण हेतु श्रेणी *
1.	अवर श्रेणी लिपिक	01	कम दृष्टि (LV) या VD

भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण:

- भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

क्रम सं.	पद का नाम	भूतपूर्व एस.एम. के लिए आरक्षित पद
1.	अवर श्रेणी लिपिक	01

संक्षेपाक्षर: पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, **एलवी** - कम दृष्टि, **वीडी** - दृष्टिबाधित, **पूर्व-एसएम** - पूर्व सैनिक

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए विशेष निर्देश:

- बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण डीओपीटी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लिए जारी 15 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।
- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 15 जनवरी 2018 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोटे के तहत चुने गए व्यक्तियों को संबंधित श्रेणी अर्थात एससी/एसटी/ओबीसी/यूआर/ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं। उन्हें अपनी संबंधित श्रेणी अर्थात एससी/ओबीसी/यूआर के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
- आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर, अस्पताल या किसी अन्य संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की शारीरिक विकलांगता का पता इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा लगाया जाएगा।
- कम दृष्टि वाले उम्मीदवार जो आवर्धक ग्लास का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपना आवर्धक ग्लास लाना होगा।

लेखक के लिए नोट:

बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD) श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा देते समय एक लेखक की सेवाएं लेने का विकल्प है।

प्रतिपूरक समय और लेखक की सहायता का प्रावधान:

- अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि उम्मीदवार चाहें तो स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाती है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III के अनुसरण में 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को भी स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। अनुलग्नक-आईए के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
- पीडब्ल्यूबीडी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को स्क्राइब/पैसेज रीडर की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब उन्होंने इस कार्यालय को सूचित करके इसके लिए विकल्प चुना हो।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के लेखक का चयन करने या संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई लेखक की सुविधा का लाभ उठाने का विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में उचित विकल्प अभ्यर्थी को संचार के माध्यम से बताना होगा।
- यदि उम्मीदवार अपने स्वयं के लेखक का विकल्प चुनता है, तो लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों को स्वयं के लेखक का विकल्प चुनने पर परीक्षा के समय अनुलग्नक-2 (A & B) में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार स्वयं के लेखक

का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, लेखक को परीक्षा के समय मूल रूप में वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेखक के पहचान पत्र की फोटोकॉपी, जिस पर उम्मीदवार और लेखक दोनों के हस्ताक्षर हों, भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो उम्मीदवार पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो देगा।

- यदि कोई उम्मीदवार अपने स्वयं के लेखक का विकल्प चुनता है, तो उस स्थिति में, वह लेखक इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में किसी अन्य दिव्यांग/दिव्यांग उम्मीदवार की लेखक के रूप में सहायता करता पाया जाता है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- उपरोक्त पैरा के अनुसार लेखक का उपयोग करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- ऊपर दिए गए पैराग्राफ में उल्लिखित उम्मीदवार, जो लेखक के उपयोग के लिए पात्र हैं, लेकिन लेखक की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।
- पात्र उम्मीदवारों के लिए लेखक के अलावा किसी अन्य अटेंडेंट को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- दिव्यांग उम्मीदवार जो लेखक की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय लेखक की पात्रता/प्रतिपूरक समय के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

इस कार्यालय के नामांकन द्वारा या स्वयं स्क्राइब की आवश्यकता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को सी.बी.टी. परीक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए संलग्न प्रोफार्मा में डाक / ईमेल (establishment@nie.gov.in) द्वारा निम्नलिखित पते पर ऊपर निर्धारित अनुरोध / प्रासंगिक प्रमाण पत्र की पूर्व सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

पता:

निदेशक,
 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान,
 आर-127, सेकंड मैन रोड,
 तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड,
 अयापक्कम, चेन्नई 600 077.
 ईमेल: director.nie@icmr.gov.in

अन्य नियम और शर्तें:

- आवेदन पत्र में एक बार भरी गई श्रेणी को बदला नहीं जा सकता है और बाद में किसी अन्य श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-I)** में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- आयु में छूट के उद्देश्य से ओबीसी प्रमाण पत्र का अर्थ होगा "ओबीसी श्रेणी के व्यक्ति जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं" जैसा कि डीओपीटी के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में परिभाषित किया गया है, जिसे दिनांक 09.03.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) द्वारा संशोधित किया गया और बाद में दिनांक 27.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/1/2013-स्था. (आरईएस) द्वारा संशोधित किया गया। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की ओबीसी स्थिति के लिए गणना की तिथि माना जाएगा तथा यह भी मान लिया जाएगा कि गणना तिथि पर अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इसलिए, ओबीसी अभ्यर्थियों को **(अनुलग्नक-II)** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में वैध तथा अद्यतन ओबीसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विशेष रूप से "क्रीमी लेयर से बहिष्करण" संबंधी खंड शामिल होना चाहिए। आयु में छूट पाने के लिए, उन्हें **(अनुलग्नक-III)** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उसी वित्तीय वर्ष में जारी किया गया ओबीसी प्रमाण-पत्र तथा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण-पत्र केवल ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाएगा।
- "क्रीमी लेयर" से संबंधित ओबीसी अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी सामान्य दर्शानी होगी।
- पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि उनके लिए लागू है। **(अनुलग्नक-IV)**
- पूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि उनके लिए लागू है। **(अनुलग्नक-V)**
- केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में काम करने वाले उम्मीदवारों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। **(अनुलग्नक-VI)**
- केंद्र सरकार के कर्मचारी/विभागीय उम्मीदवार और आईसीएमआर द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में काम करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा। **(अनुलग्नक-VII)**
- सभी पदों पर अखिल भारतीय स्थानांतरण देयता है। चयनित उम्मीदवारों को आईसीएमआर/एनआईई के नियंत्रण में किसी भी संस्थान/केंद्र/फील्ड यूनिट में तैनात किया जा सकता है। इस मामले में कोई टीए/डीए पर विचार नहीं किया जाएगा।

- वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (ईसीबी एवं पीआर प्रभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22.12.2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार नए प्रवेशकों के लिए नई संरचित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली का लाभ स्वीकार्य है, जो 01.01.2004 से प्रभावी है।
- चयन/भर्ती के संबंध में उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से कोई भी प्रचार करना या राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालना अनुचित व्यवहार है और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- अनुभव प्रमाण पत्र (कार्य अनुभव) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित/पंजीकृत संस्थान आदि के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और उसमें उम्मीदवार का नाम, पदनाम, कार्य अनुभव की अवधि (से-तक), उसके द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति आदि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संगठन/प्रतिष्ठित संस्थान से होनी चाहिए और अनुभव किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित/पंजीकृत संस्थान में होना चाहिए।
- केवल योग्यता के बाद के अनुभव को ही ध्यान में रखा जाएगा
- कोई भी व्यक्ति (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है या (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या अनुबंध किया है, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- इस विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को, उनके अपने हित में, सलाह दी जाती है कि वे आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक सभी पात्रता मानदंडों जैसे आयु सीमा, आवश्यक योग्यता, अनुभव, आरक्षण आदि को पूरा करते हैं। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद भी यह संज्ञान में आता है कि कोई भी अभ्यर्थी उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के संबंध में अपेक्षित योग्यताएं पूरी नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में कोई गलत या झूठी या भ्रामक जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है या वह अन्यथा पात्र नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए स्वतः ही रद्द हो जाएगी, भले ही उसने परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त किए हों और इस संबंध में कोई पूछताछ/अनुरोध/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अपडेट के लिए उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे आईसीएमआर/एनआईई की वेबसाइट देखें

निदेशक, आईसीएमआर-एनआईई के पास यह अधिकार प्राप्त है कि: -

- उम्मीदवार द्वारा केवल आवश्यक योग्यता और अपेक्षित अनुभव पूरा करने से उसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा / अंतिम चयन के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।
- किसी भी श्रेणी में और चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी/हटाव
- बिना कोई कारण बताए विज्ञापित किसी/सभी पदों को भरना या न भरना
- भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापन में हुई अनजाने में हुई गलती या चूक को सुधारने का अधिकार है, और इसे ICMR/NIE की वेबसाइटों (www.nie.gov.in/ और www.icmr.gov.in/) पर अधिसूचित किया जाएगा।

निदेशक
आईसीएमआर-एनआईई, चेन्नई

PRESCRIBED PROFORMAE

Performa-I

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*.....
son/daughter* of of village/town*
..... in District/Division* of the
State/Union Territory* belongs to the..... caste/tribe* which is
recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:—

- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

- @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati*..... Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari of village/town* in District/Division*..... of the State/Union Territory*..... who belongs to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of issued by the dated

% 3. Shri/Shrimati/Kumari*..... and/or* his/her* family ordinarily resides in village/town*..... of..... District/Division* of the State/Union Territory* of.....

Signature.....
**Designation.....

(With Seal of Office)
State/Union Territory*

Place:

Date:

*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
†(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer(Lakshadweep)

OBC (NON-CREAMY LAYER) CERTIFICATE

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR
APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri / Smt. / Kum.*.....
son/daughter* of Shri..... of Village/Town
..... District..... in
State belongs to..... community which is recognized as
Backward Class under : (indicate the Sub Caste above)

- 1) Resolution No.12011/68/93-BCC@dated 10th September 1993, published in the Gazette of India - Extraordinary-part 1, Section 1, No.186, dated 13th September 1993.
- 2) Resolution No.12011/9/94-BCC, dated 19th October 1994, published in the Gazette of India - Extraordinary-part 1, Section 1, No.163, dated 20th October 1994.
- 3) Resolution No.12011/7/95-BCC, dated 24th May 1995, published in the Gazette of India - Extraordinary-part 1, Section 1, No.88, dated 25th May 1995.
- 4) Resolution No.12011/44/96-BCC, dated 6th December 1996, published in the Gazette of India - Extraordinary-part 1, Section 1, No.210, dated 11th December 1996.
- 5) Resolution No.12011/68/93-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 129, dated the 8th July 1997.
- 6) Resolution No.12011/12/96-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 164, dated the 1st September 1997.
- 7) Resolution No.12011/99/94-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 236, dated the 11th December 1997.
- 8) Resolution No.12011/13/97-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 239, dated the 3rd December 1997.
- 9) Resolution No.12011/12/96-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 166, dated the 3rd August 1998.
- 10) Resolution No.12011/68/93-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 171, dated the 6th August 1998.
- 11) Resolution No.12011/68/98-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 241, dated the 27th October 1999.
- 12) Resolution No.12011/88/98-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 270, dated the 6th December 1999.
- 13) Resolution No.12011/36/99-BCC, published in the Gazette of India - Extraordinary-No. 71, dated the 4th April 2000.

Shri/Smt./Kum* _____ and/or his/her family ordinarily reside(s)
in the _____ District of the _____ State. This is also to certify that
he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 (of the Schedule
to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt (SCT), dated
8.9.1993) and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No.
36033/3/2004-Estt. (Res) dated 09.03.2004.

Place:

Date:

Signature of Issuing Authority with seal of office

*Strike out whichever is not applicable

NB: (a) The term 'ordinarily' used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of Peoples Act 1950.

(b) The Authorities competent to issue caste certificates are indicated below :

- (i) District Magistrate / Additional Magistrate/ Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector / 1st class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluk Magistrate / Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate
- (iii) Revenue officer not below the rank of Tahsildar, and (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the Candidate and or his family resides.

FORM OF DECLARATION/UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY OBC CANDIDATE

(IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)

I, _____ Son/Daughter of Shri
_____ resident of village/town/city

District _____ State _____
_____ hereby declare that I belong to the
_____ community which is recognized as

a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in Service admission in Central Govt. institutions as per orders contained in the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08th September, 1993. I also declare that I do not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08th September, 1993, which is modified vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 14th September, 2017.

Signature of Candidates:

Full Name:

Correspondence Address:

Place:

E-Mail:

Mobile No:

Date:

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

<p>Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.</p>
--

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.

_____ son/wife/daughter of Shri _____
 Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female
 _____ registration No. _____ permanent resident of House
 No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office
 _____ District _____ State _____, whose photograph
 is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - VI

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport
size attested
photograph

(Showing face
only) of the person
with disability.

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY)
_____ Age _____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No.
_____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District
_____ State _____, whose photograph is affixed above, and am
satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			

6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures :- ----- percent

In words :- -----percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till -----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

FORM-VII

(As per RPD Act, 2016)

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms-V & VI)

{See Rule 18(1)}

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent Passport
size Attested
Photograph
(Showing face
only)
Of the Person with
Disability

Certificate No.:

Date :

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Ms. _____, son/wife/daughter of Shri _____, Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____, Registration No. _____, permanent resident of House No. _____, Ward/Village/Street _____, Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/Her extent of permanent physical impairment / disability has been evaluated as per guidelines (_____ number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

Sr. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment / Mental Disability (in %)
1	Locomotor disability	@		
2	Muscular Dystrophy			
3	Leprosy cured			
4	Dwarfism			
5	Cerebral Palsy			
6	Acid Attack Victim			
7	Low Vision	#		
8	Blindness	#		
9	Deaf	*		
10	Hard of Hearing	*		
11	Speech & Language disability			
12	Intellectual disability			
13	Specific learning disability			
14	Autism Spectrum Disorder			
15	Mental Illness			
16	Chronic Neurological Conditions			
17	Multiple Sclerosis			
18	Parkinson's disease			
19	Haemophilia			

Sr. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment / Mental Disability (in %)
20	Thalassemia			
21	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

@ e.g. Left / Right / Both Arms / Legs

e.g. Single Eye

* e.g. Left / Right / Both Ears

2. The above condition is progressive / non-progressive / likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

i) not necessary,

or

ii) is recommended / after _____ years _____ months, and therefore, this certificate shall be valid till _____(DD) _____(MM) _____(YY).

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Name of Document	Date of Issue	Details of Authority issuing Certificate

(Authorised Signatory of Notified Medical Authority
(Name & Seal)

Countersigned
{Countersignature & Seal of the Chief Medical Officer /
Medical Superintendent / Head of Government Hospital,
in case the Certificate is issued by a Medical Authority
who is not a Government Servant (with Seal)}

Signature / thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Note : In case this certificate is issued by a Medical Authority, who is not a Government Servant, it shall be valid only if Countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.)
_____ (Rank) _____ (Name)
_____ is due to complete the specified term of his engagement
with the Armed Forces on the (Date) _____.

(Signature of Commanding Officer)
Office Seal

Place:

Date:

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I, bearing Roll No....., appearing for the Document Verification of the Examination, 20....., do hereby undertake that:

(a) I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.

(b) I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or

(c) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or

(d) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of Therefore, I am eligible for age relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature:
Name:
Roll Number:
Date:
Date of appointment in Armed Forces:
Date of Discharge:
Last Unit/ Corps:
Mobile Number:
Email ID:

NO OBJECTION CERTIFICATE

(To be produced on the Letter Head of the Department and to be filled by the Head of the Department in which the candidate is working)

1. It is certified that Mr./Mrs./Miss/Dr. _____
(designation) _____ is working in the temporary/permanent
capacity with effect from _____. **This organization has no objection in
his/her applying to the post of _____ at _____.**

2. It is certified that his/her Pay Level is _____. He/She is
drawing a Basic Pay of Rs. _____. His/Her next increment is due on
_____.

Place:

Date:

Signature _____

Name _____

Designation _____

Seal of the office _____

Annexure-VII

(Format of certificate to be submitted by Central Government Employees seeking age relaxation)

(To be produced on the Letter Head of the Department and to be filled by the Head of the Department in which the candidate is working)

It is certified that Shri/Smt/Kum. _____ is a Central Government employee holding the post of _____ in the Pay Scale/Pay Level of Rs. _____ with 03 years regular/continuous service in the grade as _____ w.e.f. _____.

2. There is no objection to his appearing for the post of _____ and document verification for the said recruitment.

Signature _____

Name _____

Designation _____

Tel No _____

Office Seal _____